कार्यालय, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-5-85 में प्राधिकरण द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गई विकास उपविधियों प्रालेख पर विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से उपविधियों का प्रालेख प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया ।

1- श्री देवीदयाल,
आयुक्त गढ़वाल मण्डल/अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, ।

2- श्री अतुल चतुर्वेदी,
जिलाधिकारी, देहरादून/प्रशासक,
नगरपालिका, देहरादून व मसूरी/
उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।

3- मुख्य अभियन्ता,
जल निगम, देहरादून ।

4- श्री जी0सी0 गर्ग,
अधीक्षण अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून ।

5- श्री एन0आर0 बर्मा,
नगर नियोजक, लखनऊ ।

6- रीता विशाल
जिला उद्योग अधिकारी,

7- श्री डी0सी0 लाखा,
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

8- सक्षम अधिकारी,
नगर भूमि सीमा रोपण, देहरादून ।

9- श्री रूपेश जैसवाल,
पर्यावरण विभाग, लखनऊ ।

आर०एस० शुक्ला

10- उप संरक्षक,
वन विभाग

11- सचिव,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

आज दिनांक 28-5-85 की बैठक में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की विकास विधि- उपविधियों पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया गया है अतः "बाईलाज" 28-5-85 से मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा लागू कर दिया गया है ।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21-11-85

में माननीय सदस्यों की उपस्थिति ।

क्रमसंख्या	नाम व पद	हस्ताक्षर
1-	D.N. Dhar	
2	Rakesh. सचिव	
3.	D.S. VERMA. O/C. Nagar Palika DDn	
4.	निर्मल कुमार डायरेक्टर, दून घाटी योजना	
5.	के० के० मित्तल अधिशासी अभियन्ता सा०नि०वि० देहरादून	
6.	[illegible]	
7	डी० आर० रतूड़ी उप वन संरक्षक देहरादून वन प्रभाग	
8	[illegible] गर्ग अधिशासी अभियन्ता [illegible] देहरादून	
9.	Vinod Sharma Sub. Divisional Magistrate Mussoorie	21/11/85
10.	Sher Singh XEN. U.P. Avas Evam Vikas Parishad Dehra Dun.	
11.	Hare Krishna Sharma Senior Planner, Town & Country Plng Deptt U.P. Lucknow.	
12.	I. P. Singh Joint Director, Directorate of Environment U.P., Lucknow.	21.11.85
13.	D. C. Lakha Joint Secretary Finance Deptt U.P.	21.11.85
14	J.P. Sharma V.C. M.D.D.A.	
15.	Atul Chaturvedi D.M. Dehra Dun	
16-	Hira Singh Bisht MLA.	
17.	- K.N. Kothiyal Manager, Distt. Industries Centre D.Dun	21/11

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की
बैठक दिनांक 21-11-1985 का कार्यवृत्त ।

1- दिनांक 21-11-85 को प्राधिकरण कार्यालय, परेड ग्राउन्ड, देहरादून में श्री देवी दयाल, अध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

उपस्थिति

1-	श्री देवी दयाल, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं अध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून । अध्यक्ष	
2-	श्री जे०पी० शर्मा, उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।	
3-	श्री राकेश, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।	
4-	श्री अतुल चतुर्वेदी, प्रशासक, नगरपालिका/जिलाधिकारी देहरादून ।	सदस्य ।
5-	श्री डी०सी० लाखा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।	"
6-	श्री हरिकृष्ण शर्मा, सीनियर प्लानर, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।	"
7-	श्री आई०पी० सिंह, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ ।	"
8-	श्री के०के० मित्तल, अधिशासी अभियन्ता, सा०नि०वि० देहरादून ।	"
9-	श्री के०एन० कोठियाल, मै० जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ।	"
10-	श्री शेर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, देहरादून ।	"
11-	श्री डी०एन० धवन, भू० एम०एल०ए० ।	"

विशेष आमंत्रित

1- श्री डी०एस० बर्मा, प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, देहरादून ।
2- श्री के०एच० थपलियाल, उप वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून ।
3- श्री डी०आर० रतूड़ी, उप वन संरक्षक (पू०) देहरादून ।
4- श्री विनोद शर्मा, परगनाधिकार/प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, मसूरी ।
5- श्री निर्मल कुमार, निर्देशक, दूनवेली बोर्ड, देहरादून ।
6-

जन-प्रतिनिधि

1- श्री हीरा सिंह बिष्ट, एम०एल०ए०, देहरादून ।
2- श्री किशोरी लाल, एम०एल०ए०, मसूरी ।

2- सामान्य

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व श्री द्वारिकानाथ धवन, भूतपूर्व एम0एल0ए0 द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया :

11। कुआंवाला एवं हर्रावाला के उद्योगों को जो महायोजन लागू होने के पूर्व से स्थापित हैं का स्पॉट-जोनिंग किया जाय ।

12। मास्टर प्लान वस्तुपरक नहीं है, विकास शुल्क यानी बस्ती में रू0 2-50 व नगर पालिका क्षेत्र में रू0 5/- प्रति वर्ग मीटर है जहां पर रू0 5/- दर है, वहां अधिक विकास हो चुका है, उस स्थान पर रू0 2-50 होना चाहिये ।

13। मानचित्र स्वीकृति में नीति सुनिश्चित की जाय ।

14। पर्यावरण को आधार बना कर नक्शे न पास करने का कोई औचित्य नहीं है । एस0आर0सी0, आदित्य केमिकल्स, केल्शियम कारबाईड ईकाईयों को क्यों स्वीकृति दी गई है ।

15। लीची के पेड़ों के नाम पर भूखण्ड बचा कर विक्रय कर दिये गये हैं । बासमती के नाम पर लोग जमीन सीलिंग से बचा कर लेते और विक्रय कर देते । इन विषयों पर ध्यान दिया जाय ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट विधायक द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया ।

11। कुआंवाला क्षेत्र की औद्योगिक ईकाईयों की स्पाट-जोनिंग किया जाय ।

12। सहस्त्रधारा रोड का औद्योगिक क्षेत्र आपत्तिजनक है ।

13। मास्टर प्लान में संशोधान की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि उठाये गये बिन्दु प्रस्तुत कार्यसूची में दिये गये हैं । अतः कार्यसूची के क्रमवार कार्यवाही की जानी उचित है । सर्वसम्मति से बैठक की आगामी कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

56

== 3 ==

3- विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 28-5-85 / 29-5-85 का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया गया । सर्व सम्मति से कार्यवाही की पुष्टि की की गई ।

4- प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 28-5-85 / 29-5-85 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या ।

विगत बैठक की कार्यवाही की अनुपालन आख्या सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई और सर्वसम्मति द्वारा पुष्टि करते हुए निम्न बिन्दुओं पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये :-

(1) ए० आर० सी० सीमेन्ट फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों के सम्बन्ध में सचिव द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई कि उपरोक्त फैक्ट्री से 80 प्रतिशत नाइट्रोजन 15 से 20 प्रतिशत कार्बनडाइआक्साईड गैसे निकल रही हैं ।

विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण विभाग से विस्तार से रिपोर्ट प्राप्त की जाय । उक्त विभाग प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति का प्रति माह परीक्षण करें ।

(2) चूना भट्टियों के प्रदूषण के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया कि इन चूना भट्टियों को इस आशय का नोटिस जारी किया जाय कि वह अपनी चूना भट्टियां दिनांक ~~30-11-85~~ 31.5.86 से तक वर्तमान क्षेत्र से हटा लें । नोटिस की एक-एक प्रतिलिपि जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र देहरादून को भी इस आशय से प्रेषित किया जाय कि वह इसका अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करायें व उन उद्योगों की स्थापना हेतु अनुकूल स्थान में अन्य सुविधायें उपलब्ध

वर्तमान क्षेत्र से चूना भट्टियों को हटा कर अन्यत्र क्षेत्र में स्थापित करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त यह निर्देश दिये गये कि खनन के सम्बन्ध में उपविधियां बनाई जायं। जिसके लिये एक समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्य उपाध्यक्ष, मसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून, निर्देशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, विशेष परियोजना अधिकारी, देहरादून, ~~क्षेत्रीय अभियन्ता~~ [illegible] या अथवा उनके प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी (खनिकर्म) देहरादून नियुक्त किये गये। उपरोक्त समिति अपनी आख्या दो माह के अन्दर प्रेषित करेगी।

(3) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शाखा देहरादून में खोले जाने के सम्बन्ध में संशोधन करते हुए पर्यावरण विभाग अंकित किया गया और निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभाग से शीघ्र अपना कार्यालय देहरादून में खोलने की कार्यवाही की जाय।

(4) भू-खन्ड / भवन पंजीकरण तथा आवंटन नियमावली एवं महायोजना के प्रतिवेदन, मानचित्र उपविधियों तथा नियमावली का विक्रय :

उपरोक्त पूर्व बैठक में प्रस्तुत एवं पारित प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि मानचित्र का मूल्य रु0 25/-, बाईलाज का मूल्य रु0 50/- तथा महायोजना प्रतिवेदन का मूल्य रु0 50/- रखा जाय।

(5) अविकसित एवं अंशतः विकसित ~~सड़कों के निर्माण~~ कॉलोनियों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या में सूचित किया गया है कि सूचनायें संकलित की जा रही हैं । इस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अध्यक्ष द्वारा खेद व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके स्वयं द्वारा लिखे जाने के उपरान्त भी नगर नियोजक को देहरादून में नियुक्त नहीं किया गया है । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सहयुक्त नगर नियोजक, गढ़वाल को 15 दिन में चार दिन का कार्यकाल देहरादून के लिये निर्धारित है जिससे देहरादून कार्यालय को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । निर्देश दिये गये कि नगर विकास सचिव उ0प्र0 को एक अर्ध शासकीय पत्र अध्यक्ष महोदय की ओर से लिखा जाय कि नगर नियोजक श्री गुप्ता का कार्यकाल इस देहरादून प्राधिकरण के लिये एक माह में कम से कम 15 दिन कर दिया जाय जबतक कोई स्थाई व्यवस्था नहीं हो जाती एवं पूर्णकालिक नगर-नियोजक की नियुक्ति शीघ्र की जाय।

(6) विकास उपविधियाँ तथा नौन कन्फर्मिंग यूज उपविधियाँ ।

प्रस्तुत अनुपालन आख्या के अनुसार शासन का अनुमोदन अभी प्रयासोपरान्त भी प्राप्त नहीं हुआ है। पर खेद व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि व्यक्तिगत प्रयास कर अनुमोदन ~~उपलब्ध कराया~~ प्राप्त किया जाय ।

(7) प्रस्तर-16- नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम के अन्तर्गत कृषि औद्योगिक भूमि की अवमुक्ति के सम्बन्ध में गत बैठक में माजरा एवं अन्य स्थानों के बासमती चावल वाले उत्पादक क्षेत्रों के भू-उपयोग परिवर्तन ~~न~~ करने के सम्बन्ध में समिति गठित की गई थी जिसके द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

सर्वसम्मति से समिति का पुनर्गठन किया गया तथा आग्रह किया गया कि वह अपनी आख्या एक माह के अन्दर देने की व्यवस्था करें ।

3- कार्यालय भवन
============

प्राधिकरण का वर्तमान कार्यालय स्टेडियम में है । बढ़ते हुए कार्य तथा स्टाफ के कारण वर्तमान स्थान कम पड़ रहा है ।

निर्णय लिया गया कि भूखान्ड/भवन का चयन कर लिया जाय तथा आगामी बैठक में ~~वस्तु स्थिति~~ विस्तृत योजना पर विचार किया जाय एवं 20 लाख रुपये विकास व्यय से इस कार्य हेतु स्वीकृत किये गये ।

4- पद सृजन
=======

[क] श्रेणी एक व दो के अधिकारी
===========================

प्राधिकरण में श्रेणी एक व दो के अधिकारियों की वर्तमान आवश्यकता तथा शासन द्वारा स्वीकृत पद तथा शेष पद जिनकी ~~इसकी~~ स्वीकृति प्राधिकरण एवं शासन द्वारा वांछित है का विवरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गया कि एक सहायक वास्तुविद तथा एक उप सचिव का पद सृजित किया जाय । तदनुसार सर्वसम्मति से निर्माण अभियन्त्रण तथा परियोजना विभाग के लिये अधिशासी अभियन्ता का एक पद तथा स्थापना विभाग हेतु एक उप सचिव का पद सृजित किया गया ।

[ख] श्रेणी तीन गैर लिपिकीय पद :
==============================

श्रेणी तीन के गैर लिपिकीय पद, तकनीकी एवं अन्य गैर लिपिकीय पदों के सृजन की स्थिति प्रस्तुत तालिका में स्पष्ट की गई । सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूर्व स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्न पदों की प्राधिकरण द्वारा सृजन किया जाता है । शासन से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

वास्तुविद सहायक	= एक
सर्वे सहायक	= एक
अनुरेखक [ट्रेसर]	= एक
अवर अभियन्ता	= बारह
सहायक सम्पत्ति अधिकारी [ना0ज0]	= एक

उपरोक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में सचिव द्वारा औचित्य को स्पष्ट करते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ की जा रही परियोजनाओं पर प्रकाश डाला गया तथा समस्त सदस्यों द्वारा सन्तोष व्यक्त करते हुए निम्नलिखित लिपिकीय पद स्वीकृत किये गये :

(ग) लिपिकीय वर्गीय पद :

कार्यालय अधीक्षक	= एक
निजि सचिव	= एक
वयक्तिक सहायक (485-860)	= एक
व्यक्तिक सहायक (420-735)	= एक
प्रधान लिपिक	= पांच
वरिष्ठ लिपिक	= आठ
कनिष्ठ लिपिक(टंकक)	= सात
लेखा लिपिक	= एक
कैशियर	= एक
लेखाकार	= एक

अध्यक्ष द्वारा श्री डी०सी०लाखा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० लखनऊ से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त वांछित एवं पूर्व प्रस्तावित पदों की शासन से स्वीकृति दिलाने के लिये अपने स्तर से प्रयास करें। ✓

(घ) चतुर्थ श्रेणी के पद :

चतुर्थ श्रेणी के पदों के सृजन के सम्बन्ध में सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर तर्क वितर्क के उपरान्त माली एवं चौकीदार के 2-2 पदों तथा भवन निर्माण अनुभाग के तीन पदों को निरस्त करते हुए शेष ~~निम्न~~ तालिकानुसार पदों की स्वीकृति दी गई तथा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत समस्त पदों पर 50 प्रतिशत से तक नियुक्ति उपाध्यक्ष कर सकते हैं और उससे उपर नियुक्ति आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष की अनुमति से नियुक्ति की जाय। यह नियुक्तियां अपरिहार्य परिस्थिति में तदर्थ अथवा दैनिक वेतन के आधार पर अन्यथा कन्ट्रेक्ट बेसिस के आधार पर की जाय। नियुक्ति अधिकारीयों के प्रतिनिधायन के अन्तर्गत ~~रखी~~ भी की जाय। कोई भी नियुक्ति तीन माह से अधिक न की जाय।

61

5- **मोटर वाहन क्रय :**

विगत बैठक दिनांक 28/29-3-85 में सचिव के लिये कार तथा नगर नियोजन एवं प्रोजेक्ट विभाग के लिये एक जीप क्रय किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था । चूंकि अब प्राधिकरण में पूर्णकालिक उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने के फलस्वरूप एक कार एवं भवन निर्माण विभाग के लिये एक जीप क्रय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । उपरोक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त जीप क्रय करने का प्रस्ताव निरस्त करते हुए एक मोटर कार क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ।

6- **अधिकारों का प्रतिनिधायन :**

प्राधिकरण की विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अधिकारों के प्रतिनिधायन की व्यवस्था के सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय । तद्नुसार मेरठ, गाजियाबाद तथा लखनऊ प्राधिकरण से जानकारी उपरान्त अधिकारों के प्रतिनिधायन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो तर्क-वितर्क एवं संशोधनों के उपरान्त निम्नानुसार सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

(क) प्रशासनिक अधिकार :

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू की जाने वाली सेवा नियमावली के अधीन रहते हुए निम्न प्रकार अधिकारों का प्रयोग किया जायेगा :-

अधिकारों का विवरण	सक्षम अधिकारी का पद नाम
(1) नियुक्तियां	(अ) श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी प्राधिकरण होगा । (ब) श्रेणी-3 के तकनीकी पदों हेतु नियुक्ति प्राधिकारी उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण होगा । (स) श्रेणी-3 के अन्य पदों के लिये उपाध्यक्ष (द)- श्रेणी-4 के ~~छिबे~~ पदों हेतु सचिव नियुक्ति प्राधिकारी होंगे । केन्द्रीयित पदों पर नियुक्तियां शासन द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार की जायेंगी । ~~अछछछिर्ह~~ अकेन्द्रीयित पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी ।
(2) अवकाश स्वीकृति	(अ) श्रेणी-1 के अधिकारियों के अवकाश उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे । (ब) श्रेणी-2 के अधिकारियों के अवकाश तथा श्रेणी-3 के तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारियों के अवकाश सचिव द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे । (स) श्रेणी-4 के कर्मचारियों के अवकाश उपाध्यक्ष द्वारा नामित प्रभारी अधिक[illegible] द्वारा किये जायेंगे

(3)	त्याग-पत्र स्वीकृत करने का अधिकार	नियुक्ति प्राधिकारी ।
(4)	अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार जिसमें निलम्बन भी सम्मिलित होगा ।	नियुक्ति प्राधिकारी ।
(5)	प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्रदेश के बाहर ड्यूटी पर जाने हेतु अधिकृत करने का अधिकार ।	उपाध्यक्ष ।
(6)	दक्षता रोक स्वीकृत करने का अधिकार	नियुक्ति प्राधिकारी ।
(7)	प्राधिकरण की ओर से 15 लाख रुपये मूल्य तक की सम्पत्ति क्रय करने का अधिकार	उपाध्यक्ष ।
(8)	विकास क्षेत्र के मास्टर प्लान से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ करने का अधिकार	प्राधिकरण ।
(9)	किसी भी मूल्य की नजूल भूमि अथवा अन्य सरकारी, अर्धसरकारी और सार्वजनिक निगम की भूमि क्रय करने का अधिकार	उपाध्यक्ष ।
(10)	किसी भी मूल्य की सीमा तक भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अर्जन प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिकार ।	उपाध्यक्ष ।
(11)	प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत नियमों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं में विकसित या निर्मित सम्पत्ति की नीलामी विक्रय या आवंटन का अधिकार ।	उपाध्यक्ष ।
(12)	प्राधिकरण की विकास परियोजनाओं में निर्मित एवं अन्य नियमों व प्रतिबन्धों को निश्चित करने का अधिकार ।	प्राधिकरण ।
(13)	प्राधिकरण की ओर से किसी भी न्यायालय में वाद/अभियोजन प्रस्तुत करने तथा प्राधिकरण के विरुद्ध वादों/अभियोजनों के प्रतिवाद करने तथा पैरवी करने का निर्णय लेने का अधिकार ।	उपाध्यक्ष । जिनके द्वारा यह अधिकार सचिव को भी प्रतिनिधायित किया जा सकता है ।
(14)		

(ख) वित्तीय अधिकार:

(1) यात्रा-भत्ता हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये ऑफिसर अधिकारों का प्रयोग :-

(अ)	श्रेणी-1 के अधिकारियों हेतु	उपाध्यक्ष ।
(ब)	श्रेणी-2 तथा श्रेणी-3 के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	सचिव ।
(स)	श्रेणी-4 के कर्मचारियों हेतु	सचिव ...

(2) प्राधिकरण कोष से आहरण वितरण का अधिकार

15000 रु. तक सचिव / C.A.O
15000 रु से 1 लाख तक V.C/C.A.O
~~15,000/-रु0- सचिव~~ ।
~~15 हजार से एक लाख रु0 उपाध्यक्ष~~
एक लाख से ऊपर उपाध्यक्ष/मुख्य-लेखाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (लेखा) द्वारा संयुक्त रूप से । मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति के अभाव में उनके स्थान पर उपाध्यक्ष द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी (लेखा) सचिव के साथ संयुक्त होकर आहरण वितरण का कार्य करेंगे ।

(3) अर्हता श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में यात्राभत्ता की विशेष स्वीकृति देने का अधिकार

(1) उपाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, तथा
(2) अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए उपाध्यक्ष ।

(4) यात्राभत्ता हेतु तथा स्थानान्तरण पर अनुमन्य अग्रिम स्वीकृति करने का अधिकार

सचिव ।

(5) कर्मचारियों को मानदेय स्वीकृत करने का अधिकार

उपाध्यक्ष ।

(6) प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत वाहन क्रय तथा भवन क्रय तथा भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार

उपाध्यक्ष ।

(7) कार्यालय हेतु उपकरण, मशीनरी, साज-सज्जा आदि क्रय करने का अधिकार

(1) बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुए 5 सौ रु0 तक की सामग्री उपाध्यक्ष द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी (स्थापना नजारत)

(2) बजट प्राविधानों के अन्तर्गत 3 हजार रु0 मूल्य तक क्रय स्वीकृत करने का अधिकार----सचिव ।

(3) बजट प्राविधानों के अधीन रहते हुए 3 हजार रु0 से अधिक मूल्य की स्वीकृति का अधिकार-----उपाध्यक्ष

(8) स्वीकृत बजट तथा नियमों के अन्तर्गत वाहन क्रय करने का अधिकार ।

उपाध्यक्ष ।

(9) निष्प्रयोज्य सामग्री घोषित करने एवं उसके स्थान पर नई सामग्री क्रय करने का अधिकार	(अ) रू0 3 हजार मूल्य तक, स्वीकृत बजट के अन्तर्गत------सचिव । (ब) 3 हजार रू0 मूल्य से ऊपर की सामग्री स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ------ उपाध्यक्ष ।
(10) कार्यालय साज-सज्जा तथा वाहन एवं मशीनरी आदि की मरम्मत से सम्बन्धित अधिकार ।	(अ) बजट प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुए रू0 10 हजार तक---- सचिव । (ब) बजट प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुए रू0 10 हजार से अधिक-- उपाध्यक्ष ।
(11) विकास प्राधिकरण की ओर से एग्रीमेन्ट पट्टा, अनुबन्ध-पत्र विलेख आदि सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात हस्ताक्षरित करने का अधिकार ।	सचिव या उनके द्वारा अधिकृत श्रेणी-2 से अनिम्न स्तर का अधिकारी ।
(12) चोरी, धोकाधड़ी, लापरवाही या अन्य कारणों से प्राधिकरण को हुई क्षति की धनराशि माफ करने का अधिकार ।	रू0 एक हजार तक----उपाध्यक्ष और उससे ऊपर की धनराशि हेतु प्राधिकरण ।
(13) देयों को वसूली आयोग्य घोषित करने का अधिकार	(अ) रूपये 5 हजार तक-उपाध्यक्ष । (ब) रूपये 5 हजार से ऊपर----- प्राधिकरण ।
(14) अधिकारियों के आवासों तथा कार्यालयों में टेलीफोन स्वीकृत करने का अधिकार	प्राधिकरण ।
(15) सत्कार व्यय का अधिकार	(अ) विशेष समारोहों तथा प्राधिकरण या उसकी समिति की बैठक के अवसर पर बजट प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुए. रू0 25 सौ तक------सचिव तथा 5 हजार तक---उपाध्यक्ष और उससे ऊपर---- प्राधिकरण (ब) अभ्यागतओं के लिए बजट प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुए 100रू0 प्रति मास तक----सचिव ।

§16§ अस्थाई तथा स्थाई अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार

§अ§ रू0 एक हजार तक-----सचिव ।
§ब§ रू0 पाँच हजार तक-----उपाध्यक्ष ।

§17§ स्वीकृत बजट के व्यय मदों में 25 प्रतिशत तक एक मद से दूसरे मद में परिवर्तन का अधिकार

[illegible] ------ उपाध्यक्ष ।

§18§ विकास शुल्क की धनराशि में से स्थापना व्यय स्वीकृत करने का अधिकार ।

§अ§ एक वित्तीय वर्ष में रू0 एक लाख तक ------उपाध्यक्ष ।
§ब§ एक लाख रुपये से ऊपर----प्राधिकरण

§19§ किसी एक विकास परियोजना की धनराशि में से अन्य विकास परि परियोजना पर व्यय स्वीकृत करने का अधिकार ।

§अ§ रू0 10 लाख तक---- उपाध्यक्ष ।
§ब§ रू0 50 लाख तक ---- अध्यक्ष ।
§स§ रू0 50 लाख से ऊपर---- प्राधिकरण

§20§ प्राधिकरण की विकास योजनाओं की धनराशि में से स्थापना व्यय स्वीकृत करने का अधिकार ।

§अ§ एक वित्तीय वर्ष में रू0 एक लाख तक ----उपाध्यक्षय ।
§ब§ उससे ऊपर ---प्राधिकरण ।

---

§घ§ विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित वित्तीय अधिकार§ ।

अधिकारों का विवरण	अधिकारी का पद नाम
§1§ बजट प्राविधानों के अधीन निर्माण तथा विकास परियोनाओं कोप्रशासकीय स्वीकृति देने का अधिकार§ ।	§अ§ रू025 लाख तक के लागत वाले कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति देने का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा । §ब§ रू0 एक करोड़ तक की लागत वाली विकास ~~प्राधिकरण~~ [परियोजनाओं] को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा । §स§ रू0 एक करोड से ऊपर की लागत वाली विकास परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति देने का अधिकार प्राधिकरण को होगा ।
§2§ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में निविदायें स्वीकृत करने का अधिकार ।	§अ§ रुपये एक लाख तक ----सचिव । §ब§ रुपये एक लाख से ऊपर---उपाध्यक्ष । एक करोड़ तक । §स§ §स§ एक करोड़ से ऊपर अध्यक्ष, जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, अधीक्षण अभियन्ता, पी0 डब्लू0डी0 की समिति [द्वारा] । वित्तीय हस्तपुस्तिका के उपबन्धों के अनुसार ।

३. स्वीकृत विकास परियोजनाओं में स्वीकृत निविदा के अनुसार परियोजनाओं के कार्य पर ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध समानुपातिक भुगतान तथा अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने का अधिकार ।	वित्तीय हस्तपुस्तिका के उपबन्धों के अनुसार ।
४. स्वीकृत बजट प्राविधान के अधीन व्यय स्वीकृत करने का अधिकार ।	अ. रूपये 25 हजार तक अधिशासी अभियन्ता । ब. रूपये एक लाख तक ---सचिव । स. रूपये एक लाख से अधिक--उपाध्यक्ष ।
५. विकास परियोजना से सम्बन्धित सामग्री क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत करने का अधिकार ।	अ. बजट प्राविधान के अन्तर्गत रहते हुए रूपये एक हजार तक अधिशासी अभियन्ता । ब. रूपये 10 हजार तक ---सचिव । स. रूपये 10 हजार से ऊपर उपाध्यक्ष ।
६. ठेकेदारों के अनुबन्ध-पत्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृती के पश्चात हस्ताक्षर करने का अधिकार ।	अ. रूपये 25 हजार तक अधिशासी अभियन्ता । ब. रूपये 25 हजार से ऊपर मुख्य अभियन्ता मुख्य अभियन्ता के अभाव में अधिशासी अभियन्ता किसी भी सीमा तक कान्ट्रैक्ट हस्ताक्षर कर सकते हैं और अधिशासी अभियन्ता 25 हजार तक कान्ट कान्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं औ और उससे ऊपर मूल्य के कान्ट्रैक्ट सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे ।

टिप्पणी :- उपर्युक्त प्रस्ताव में जो मद सम्मिलित नहीं हैं उनके विषय में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश से ~~नामनिर्दिष्ट~~ अधिकृत पदाधिकारी के अधिकार पर्याप्त समझे जायेंगे किन्तु बाद में सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

-----::::------

67

7- सचिव एवं मुख्य लेखाअधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य

उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा -5।1। सहपठित धारा -56।2।।ख। के अन्तर्गत सचिव तथा मुख्यलेखाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य विनिश्चित करने के लिये विनियम बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं । गाजियाबाद, लखनऊ व मेरठ विकास प्राधिकरणों के इस विषय पर तैयार एवं लागू किये गये विनियमों के आधार पर नियमानुसार विनियम बनाये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है । :-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण।सचिव और मुख्यलेखाअधिकार के अधिकार और कर्तव्य विनियम 1958

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः

।1। यह विनियमावली मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण। सचिव और मुख्यलेखाअधिकारी की शक्ति और कर्तव्य। विनियमावली, 1985 कही जायेगी ।

।2। यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

सचिव की शक्तियां और कर्तव्यः

प्राधिकरण का सचिव, अधिनियम और उसके अपने बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निजी निहित शक्तियों का प्रयोग कर और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

।क। शक्तियाः

1- प्राधिकरण द्वारा निर्धारित श्रेणी के पदों पर नियुक्त करना और ऐसे पदों के पदाधिकारियों को छुट्टी, वेतन भत्ता और मानदेय होगा ।

2- उपर्युक्त खण्ड।1। में उल्लिखित पदों के पदाधिकारियों को दण्ड देना, नियमित करना, सेवा से हटाना या पदच्युत करना या पदावनति करना, निन्दा की शास्ति देना, वेतन वृद्धियों को रोकना या दक्षता रोक रोकना ।

3- प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की चरित्र पंजियों में प्रविष्टि करना और उपाध्यक्ष के अनुमोदन से उनके स्थानान्तरण के लिये आदेश देना।

4- [illegible]

 71

मुख्य लेखाधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य

प्राधिकरण का मुख्य लेखाधिकारी अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नीचे विहित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

शक्तियाँ :

(1) प्राधिकरण के लेखा विभाग और कैश अनुभाग (चैस्ट) के कर्मचारियों पर समुचित और पर्याप्त नियन्त्रण रखना ।

(2) लेखा विभाग और कैश अनुभाग के लेखाकारों, सहायक लेखाकार, लेखा लिपिकों और अन्य कर्मचारियों की चरित्र-पंजियों में प्रविष्टि की सिफारिश करना ।

(3) निम्नलिखित पर समुचित और पर्याप्त नियन्त्रण रखना :-

(क) प्राधिकरण द्वारा समस्त धनराशि और उसके द्वारा किया गया समस्त भुगतान ।

(ख) प्राधिकरण का समस्त वित्तीय प्रबन्ध ।

(ग) बजट अनुमान, प्राधिकरण और उसके उपाध्यक्ष के निर्देश और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता के अनुसार निधियों का उपयोग ।

(4) यदि प्राधिकरण में कोई लागत लेखाकार (कास्ट एकाउन्टेन्ट) नियुक्त न हो तो विकास परियोजनाओं की लागत तैयार करना ।

(5) वित्तीय लेखा बहियों में समन्वय ।

(6) बैंक लेखों का समाधान ।

कर्तव्य :

(1) प्राधिकरण के समस्त वित्तीय मामलों में समन्वय बनाये रखना ।

(2) बैंक लेखा को उचित रूप से संचालित करना और चेक के माध्यम से, जिस पर उसका और सचिव का हस्ताक्षर होगा भुगतान सुनिश्चित करना

(3) निम्नलिखित पर समुचित और पर्याप्त नियन्त्रण सुनिश्चित करना :-

(क) प्राधिकरण द्वारा उधार ली गई समस्त निधि का उपयोग ।

(ख) प्राधिकरण के लेखा विभाग और कोषागार के समस्त कार्य ।

(4)-(क) अधिक बोध रखने के लिए परियोजनाओं के कार्य-कलापों का समन्वय रखना ।

(ख) प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को [illegible] (प्रोजेक्टेड वायबिलिटी) के सम्बन्ध में सलाह देना ।

(5) निम्नलिखित को तैयार करना और उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर सचिव/उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करना ।

- ॥क॥ बजट अनुमान ।
- ॥ख॥ अनुपूरक बजट अनुमान
- ॥ग॥ पुनरीक्षित बजट अनुमान ।
- ॥घ॥ नई मांगों की अनुसूची ॥
- ॥च॥ हानि लाभ लेखा ।
- ॥छ॥ तुलना-पत्र और
- ॥ज॥ प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट ।

(6) निम्नलिखित का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित करना :-

- ॥क॥ प्राधिकरण की दैनिक प्राप्तियों और व्यय की रोकड़ बही ।
- ॥ख॥ विभिन्न लेखा शीर्षकों के अधीन भिन्न-भिन्न विभागों की लेखा बही ।
- ॥ग॥ भुगतान रजिस्टर और चैक बुक ।
- ॥घ॥ ठेकेदारों का खाता, कार्य रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर प्रपत्र, पुस्तक आदि ।
- ॥च॥ बैंक लेखा और विभागीय सूची की बैंक लेखा से समाधान ।
- ॥छ॥ ऋण के प्रतिसंदाय के लिये शोधन निधि ।
- ॥ज॥ विहीत रीति से और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसी राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाये प्राधिकरण अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि ।
- ॥झ॥ लागत लेखा कर्म और प्रबन्ध सम्बन्धी सुझाव ।
- ॥ट॥ इण्टरनेशनल डेवलमेन्ट ऐसासियेशन से सहायता प्राप्त परियोजनाओं ~~अधिकारियों और अन्य~~ का लेखा, यदि कोई हो, और
- ॥ठ॥ विक्रय लेखा कर्म और वेतन पत्रक प्रयोजना लागत लेखा कर्म का, यदि प्राधिकरण द्वारा आरम्भ किया गया हो, वाणिज्यीकरण ।

॥7॥ प्राधिकरण के लेखा की समय से लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना ।

॥8॥ कोई अन्य कार्य जो प्राधिकरण अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा सौंपा

8- वित्तीय स्थिति

वर्ष 84-85 के स्वीकृत बजट के विपरीत वास्तविक आय-व्यय का विवरण एवं तुलनापत्र/बैलेंसशीट प्रस्तुत हुई जो विचार विमर्श उपरान्त तदनुसार स्वीकृत की गई ।

73

वित्तीय स्थिति

मानक: लाख रुपयों में

वर्ष 84-85 के स्वीकृत बजट के विपरीत वास्तविक आय-व्यय का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

क्र0	आय मद	आय 84-85 अनुमानित रू0	पैं0	आय 84-85 वास्तविक रू0	पैं0	क्रमांक	व्यय मद	अनुमानित रू0	पैं0	वास्तविक व्यय रू0	पै0
1.	उ0 प्र0 शासन से प्राप्त ऋण	50-	-	50-	-	1,	वेतन एवं भत्ते	0	38	0	28
2.	उ0 प्र0 शासन से प्राप्त वेतन अनुदान	1-	-	1-	-	2.	यात्रा भत्ते	0	06	-	--
3.	मानचित्र शुल्क	1-	-	0-	78	3.	कार्यालय व्यय	3	--	0	39
4.	प्रार्थना-पत्र शुल्क	0-	02	0-	01	4.	वाहन क्रय	2	50	-	--
5.	शमन शुल्क	0-	80	0-	03,	5.	योजना बनाने पर व्यय	0	30	-	--
6.	सत्य प्रतिलिपि शुल्क	0-	05	--	--	6.	टेलीफोन व बिजली पर व्यय	0	01	-	--
7.	विकास शुल्क	2-	00	2-	05	7.	भूमि क्रय हेतु	2	--	--	--
8.	वास्तुविद लाईसेंस शुल्क	0-	01	0-	01	8.	व्याज का भुगतान	-	--	01	27
9.	आवासीय योजना से अग्रिम प्राप्ति	2-	00	--	--	9.	ह्रास व्यय	-	--	0	04
10.	आवासीय योजना की पुस्तिका विक्रय शुल्क	1-	00	--	--	10.	सुन्दरीकरण पर व्यय	1	00	-	--
11.	व्याज से प्राप्ति	0-	00	0	41	11.	योजना व प्रचारव्यय	2	00	-	--
योग-		57	88	54	29		योग	11	25	1	98

74

वर्ष 1984-85 तुलना पत्र/बैलेंस शीट निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है।

क्रमांक	अवशेष दायित्व	धनराशि रूपयों में		क्रमांक	सम्पत्तियाँ		धनराशि रूपये
1.	शुद्ध आय जिसका हस्तान्तरण आय व्ययक खाते से किया गया।	2,54,408	79	1.	अचल सम्पत्तियाँ		
2.	सीड कैपिटल लोन	50,00,000	--	(i)	फर्नीचर व साज सज्जा	28,079-68	
				(ii)	साइकिल	920-00	
3.	अदत्त वेतन	10,879	40		योग	28,999-68	
					जोड़ें ह्रास धनराशि	3,350-00	32,349
4.	देय ब्याज उ0प्र0 सरकार को देय सीड कैपिटल 50 लाख रूपये पर।	1,25,753	42				
5.	ह्रास व्यय हेतु धनराशि का प्राविधान	3,350	--	2.	बैंकों में अवशेष धनराशि		
					पी0एल0 ए0 -- 843	52,717-95	
					पी0एन0बी0- 53968	688,288-00	
					एस्लेहाल सिंडिकेट बैंक- 9501	20,14,703-16	
					स्टेट बैंक आफ इण्डिया ---11024 राजपुर रोड़	64,498-44	28,20207
					एफ0डी0आर0 (पी0एन0बी0)		25,00000
					अनार्जित ब्याज बैंक में जमा धनराशि पर		41,634
					वकील चन्द गुप्ता (स्थाई अग्रिम)		200
	योग	53,94,391	61		योग		53,94,39

वर्ष 1985-86 में 30-10-85 तक वास्तविक व्यय वर्ष 85-86 के लिये स्वीकृत बजट में अनुमानित आय-व्यय तथा 31-10-85 तक के आय-व्यय के आधार पर शेष वर्ष के पुन:रीक्षित आय-व्यय अनुमानों का विवरण प्रस्तुत किया गया जो तदनुसार विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया ।

= =

वर्ष 85"86 में 3-10-85 तक के वास्तविक व्यय वर्ष 85-86 के लिये स्वीकृत बजट में अनुमानित आय व्यय तथा 31-10-85 तक के आय व्यय के आधार पर शेष वर्ष के पुन:रीक्षित आय व्यय अनुमानों का विवरण निम्न तालिका अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(क) ऋण व प्रोजेक्ट के अतिरिक्त शेष मदें (अधिष्ठान सम्बन्धी)

क्रम० मद	आय लाख रूपयों में			व्यय लाख रूपयों में		
	अनुमानित	वास्तविक	31-3-86 तक सम्भावित आय	अनुमानित	वास्तविक	पुन:रीक्षितबजट 31-3-86 तक
1. विगत वर्ष का शेष	00.00	02.54	02.54	..	..	..
2-मानचित्र आवेदन शुल्क	05.00	01.22	02.50	..	..	..
3-वेतन अनुदान	01.00	---	01.00	..	..	..
4. प्रार्थना पत्र फाम/पुस्तक/मानचित्रआदि के विक्रय से प्राप्ति	00.65	00.36	00.50	..	..	..
5- विकास शुल्क व्यय	30.00	07.27	30.00	..	..	..
6- शमन शुल्क	05.00	00.11	02.00	..	..	..
7. विविध आयें(नकल, मुआइना, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सूचना आदि से प्राप्तियां	01.05	00.24	00.50	..	..	..
8- प्राप्त ब्याज	00.00	00.80	01.50	..	..	..
9. कार्यालय व्यय	.. ..	.....	....	04.00	..	..
(i) साज सज्जा	....	..	..	..	00.44	01.00
(ii) टेलीफोन	..	..	..	..	00.17	00.30
(iii) मोटर वाहन क्रय व अनुरक्षण	..	..	..	..	01.19	03.50
(iv) स्टेशनरी	..	..	..	..	00.22	00.50
(v) भवन अनुरक्षण व्यय	..	..	..	..	00.19	00.70
(vi) प्रिंटिंग व्यय	..	..	..	..	00.02	00.25
(vii) मशीनरी क्रय	..	..	..	..	00.27	00.50
(viii) एस०टी०ए०डी०	..	..	..	..	00.00	00.01
(ix) विज्ञापन	..	..	..	..	00.22	00.25
(x) सत्कार व्यय	..	..	..	..	00.03	00.15
(xi) विविध मद	..	..	..	..	00.03	00.10
	42.10	12.54	40.54	04.00	02.78	07.26

क्रमश:....2

76

क्रमांक	मद	आय लाख रूपयों में अनुमानित	वास्तविक	31-3-86 तक सम्भावित आय	व्यय लाख रूपयों में अनुमानित	वास्तविक	पुनःरावृत बजट 31-3-86 तक
10	वेतन एंव भत्ते	-----	---	------	05.00	00.90	02.00
11.	यात्रा भत्ते	---	-----	-------	01.00	00.08	00.25
12.	कार्यालय भवन/भूमि क्रय	----	-----	------	00.00	00.00	20.00
13.	ह्रास	----	----	------	00.00	00.00	01.00
14.	ब्याज का भुगतान	----	----	-----	00.00	00.00	00.00
	कुल योग	42.10	12.54	40.54	10.00	3.76	30.51

घघघघघघघघघघघ

क्र0	मद	असय लाख रूपयों में स्वीकृत वजट	31-10-85 तक का वास्तविक	पुनरीक्षित वजट	स्वीकृत वजट	आय लाख रूपयों में 31-10-85 तक का वास्तविक	पुन: रीक्षित वजट
1.	विगत वर्ष का अवशेष						
	(1) शासन से ऋण	50.00	50.00	50.00			
	(11) अन्य ऋण	00.00	00.00	00.00			
2-	चालू वर्ष में प्राप्त ऋण						
	(1) शासन से प्राप्त ऋण	00.00	00.00	10.00			
	(111) अन्य श्रोतों से प्राप्त	00.00	00.00	50.00			
3.	प्राधिकरण बाजार तिब्बती मार्केट के आंवटन से आय	00.00	00.00	50.00			
4.	डालनवाला आवासीय योजना के पंजीकरण से प्राप्त होने वाली आय	00.00	00.00	30.00			
5.	परियोजनाओं के लिये विकास व्यय प्राप्तियों में से लिये जाने वाला ऋण	00.00	00.00	10.00			
6.	ब्याज से आय	00.00	(1.5) 01:50	03.00			
7.	डालनवाला आवासीय योजना की भूमि का क्रय				00.00	16.50	16.50
8.	डालनवाला आवासीय में स्थल विकास पर व्यय				00.00	00.03	34.00
9.	तिब्बती बाजार भूमि क्रय पर व्यय				00.00	08.00	08.00
10.	प्राधिकरण बाजार तिब्बती मार्केट (निर्माण व विकास व्यय)				00.00	00.40	22.00

क्रमश:....2

79

66

		आय लाख रूपयों में			व्यय लाख रूपयों में		
क्र0	मद	स्वरकृत बजट	30-10-85 तक का वास्तविक	पुन: रीक्षित बजट	स्वीकृत बजट	30-10-85 तकका वास्तविक	पुन: रीक्षित बजट
11.	कांवली निरंजनपुर आवासीय योजना की भूमि क्रय पर व्यय				00.00	00.00	50.00
12	ब्याज का भुगतान				00.00	00.00	10.00
13	अन्य भूमि क्रय				00.00	00.00	55.00
14	विविध				00.00	00.00	01.50
	कुल योग=	50.00	51.50	203.00	00.00	16.93	197.00

9- **विकास क्षेत्र के क्षेत्राधिकार का विस्तार**

सचिव द्वारा यह बताया गया कि मसूरी-देहरादून विकास क्षेत्र दून घाटी के एक बड़े क्षेत्र को ले कर घोषित किया गया है। दूनघाटी के शेष क्षेत्र की प्रकृति भी वर्तमान विकास क्षेत्र की प्रकृति के समतुल्य है। अस्तु विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र विस्तृत किया जाय और विकास क्षेत्र में सम्पूर्ण दूनघाटि क्षेत्र को सम्मिलित कर दिया जाये ताकि सम्पूर्ण दूनघाटी क्षेत्र में नगरीय विकास का पैटर्न एक समान हो जाये।

विचारोपरान्त उपस्थित सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। निर्देश दिए गए कि पूर्न-गठित कार्यकारी दल द्वारा जांच कराये जाने हेतु शासन अ. शांक्रि किया कार्यवाही की जाये। तदोपरान्त ही प्रस्तावित किया जाये।

10- **देहरादून में महायोजना में संशोधन का प्रस्ताव**

सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि देहरादून की महायोजना मौके की स्थिति में कुछ त्रुटियां पाई जा रही हैं। मुख्यत: सहारनपुर रोड, सुभाषनगर तथा चकराता रोड पर चोरखाले के पास डाक एवं तार कालोनियों के ले-आउट मानचित्र पूर्व से ही स्वीकृत हैं और चोरखाले के आसपास के अत्याधिक क्षेत्र में आवादी पाई गई है जबकि संबंधित भूमि का भू-उपयोग क्रमश: कृषि एवं उद्यान प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार स्वीकृत लेआउट मानचित्र वाली डिफेन्स कालोनी का भी कुछ अंश कृषि भू-उपयोग में दिखाया गया है। इस विषय पर जन-प्रतिनिधियों ने भी विशेष रूप से इच्छा ~~संतुष्टि~~ व्यक्त की कि महायोजना में संशोधन किया जाना उचित है।

विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एक समिति बनाई जाये जो इस सम्बन्ध में स्थल पर जांच करे तथा आपत्तियों को आमन्त्रित कर व आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अपनी आख्या एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्य निम्नानुसार चयनित किए गए। उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, श्री एस0के0 शर्मा, Sr. Town Planner तथा निदेशक पर्यावरण विभाग या उनके प्रतिनिधि

महायोजना में 3 प्रदूषणकारक औद्योगिक इकाइयाँ आदित्य केमिकल्स, कैलसियम कारबाइड, ए0आर0सी0 सीमेन्ट फैक्ट्री स्पाट-जोन कर दी गई हैं, परन्तु उनके गुण व दोष के आधार पर विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया कि महायोजना के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार क्षेत्र प्रदूषण रहित रखा जाये, पर्यावरण एवं क्षेत्र की सुन्दरता पर बिपरीत प्रभाव एवं अन्य प्रदूषणकारी इकाइयों में असंतोष है।

इस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इन प्रदूषणकारी इकाइयों का प्रदूषण नियन्त्रित नहीं हो पा रहा है जिससे जनता में असंतोष है, अतः इन्हें डिस्पाट-जोन किया जाये शासन को प्रस्ताव भेज कर निवेदन किया जाये कि धारा 13121 के अन्तर्गत महायोजना में संशोधन किया जाये।

11- जोनल डवलपमेंट प्लान

विगत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चकराता रोड, कांवली रोड, जनरल महादेवसिंह रोड तथा बसन्त बिहार के मध्य स्थित क्षेत्र का प्लेन टेबल सर्वे कराने के उपरान्त एवं मोहब्बेवाला इन्डस्ट्रीयल जोन का जोनल प्लान तैयार करा कर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। तर्क-वितर्क व विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत मोहब्बेवाला लेआउट की जाँच हेतु एक समिति का गठन किया जाये। समिति के सदस्य नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं उपाध्यक्ष मसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण चयनित किए गए। यह समिति जनता की आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त अपनी आख्या एक माह में अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगी और इनकी संस्तुति के उपरान्त ही जोनल प्लान शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाये। शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में निर्णय लिया गया

के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को कहा जाये तथा समर्पित विलेख (डीड आफ सरन्डर) अगर वह प्राधिकरण के नाम लिखित देते हैं, तब मानचित्र स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाये अन्यथा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक उपयोगों के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही भी की जाये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि अजबपुर कलां, अधोईवाला, राजपुर रोड, विजय कालोनी का ज़ोनल डवलपमेंट प्लान शीघ्र बनाया जाये तथा आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। गोविन्दगढ़ में की जा रही अथवा की गई अनाधिकृत निर्माण की जांच की जाये और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

12- मसूरी की महायोजना

मसूरी की महायोजना उ0प्र0नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की जा रही है, परन्तु मानचित्र तैयार किये जाने में होने वाली कठिनाईयों को अवगत कराते हुए नगर नियोजक द्वारा राय दी गई कि सर्वे आफ इन्डिया गाइड मैप में जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं है उसका पृथक से प्लेन टेबिल सर्वे कराया जाना उचित है, जो सर्वसम्मिति से विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

13- चाय बागानों का भू-उपयोग

परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित किया गया कि देहरादून में स्थित चाय बागान अनार्थिक एवं अलाभकारी हो गये हैं और इनमें निहित भूमि का अन्य बेहतर उपयोग होना चाहिये। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा सुझाव दिया गया कि चाय बागान की भूमि का महायोजना में इन्स्टीट्यूशनल भू-उपयोग कोटे पर विचार किया जाय।

जन प्रतिनिधियों द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में जनपद देहरादून में कई इन्स्टीट्यूशनल संस्थान खोले जाने का प्राविधान है, जिसके लिये यह भूमि उपयुक्त पाई गई है ।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्राम आरकेडिया ग्रान्ट एवं बन्जारावाला की चाय बागान में निहित भूमि का भू- उपयोग इन्स्टीट्यूशनल कर दिया जाय । महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाय । सरकारी एवं अर्ध सरकारी अथवा किसी भी विभाग द्वारा कार्यवाही शासन के उपरोक्त प्रस्ताव के अनुमोदन के उपरान्त ही की जा सकती है । पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्ति की गई जिसपर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र को विशेष जोन घोषित कर पांच प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र निर्माण का प्राविधान किया जाय ।

14- विकास उप विधियों की धारा 3-16 के अन्तर्गत अन्य निर्मित क्षेत्र की घोषणा ।

प्रस्तावित किया गया कि देहरादून की महायोजना में घोषित वर्तमान निर्मित क्षेत्र ।आर०बी०। के अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि काफी पुराने बसे हुए हैं और वहां भवन मानचित्र स्वीकृत करने के लिये ले-आउट प्लान की पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता व्यवहारिक नहीं है । इन क्षेत्रों का निर्धारण लम्बित मानचित्रों के लिये गठित समिति द्वारा किया गया है और समिति ने यह संस्तुति की है कि इन क्षेत्रों को विकास उपविधियों की धारा 3-16 के अन्तर्गत अन्य निर्मित क्षेत्र ।ओ०बी०। घोषित कर दिया जाय । समिति ने यह भी राय दी है कि वर्तमान निर्मित क्षेत्र ।आर०बी०। तथा अन्य निर्मित क्षेत्र ।ओ०बी०। में यदि किसी बड़े भू-खान्ड का सब-डिविजन किया गया हो और भू-खान्डों की अधिकतम संख्या आठ हो तो प्रत्येक भू-खान्ड को समुचित पहुंच मार्ग प्राप्त हो तो वहां भी ले-आउट प्लान की अनिवार्यता से मुक्ति प्रदान की जा सकती है किन्तु यदि संख्या आठ से अधिक हो तो अनिवार्य समझी जायगी । समिति द्वारा निर्धारित किया गया क्षेत्र

(1) तथा सब-डिवीजन किये गये प्लाटों की संख्या 4 से अधिक न होने पर

(83)

किया जाय ।

विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित क्षेत्र को ॥ओ०बी०॥ घोषित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि एक ही स्थान पर ~~पांच प्लाट~~ कम्पैक्ट एवं (कन्सोलीडेटेड क्षेत्र का क्षेत्रफल एक एकड़) से अधिक न होने पर ले-आउट की आवश्यकता नहीं होगी । (1) अधिक क्षेत्र के लिये ले-आउट प्लान का होना आवश्यक होगा । ऐसे भू-खण्डों के सम्बन्ध में ले-आउट प्लान के अतिरिक्त विकास उपविधियाँ पूर्णतः लागू होंगी । ~~इस सम्बन्ध में भी गठित समिति की आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।~~ तदनुसार कार्यालय-आदेश प्रसारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

15- विकास उपविधियों में संशोधन

महायोजना में आबादी घनत्व से सम्बन्धित विकास उपविधियों की धारा 5-7 की तालिका 12 के क्रमांक 1 में वर्णित आवासीय यूज ग्रुप के लिये वर्तमान एफ०ए०आर० को संशोधित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निर्देशानुसार संशोधित रूप से आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय । डी०ए०-1 से सम्बन्धित उपविधियों के संशोधन के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया । समिति के [redacted] सदस्य-उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, श्री एच०के०शर्मा, Town Planner, परगनाधिकारी, मसूरी चयनित किये गये । समिति अपनी आख्या अगली बैठक तक प्रस्तुत करेगी ।

16- विकास व्यय

विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 28-2-85 द्वारा पारित विभिन्न क्षेत्रों के लिये विकास व्यय की दरों में संशोधन हेतु प्रस्ताव किया गया । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जाय जिनके सदस्य उपाध्यक्ष, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, सचिव मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक एवं प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका चयनित किये गये । उपरोक्त समिति अपनी आख्या

एक ... ... अगली बैठक में अन्तिम निर्णय हेतु

(84)

18- मसूरी की बहुमंजिली इमारतें:-
=======================

शमन के मामले
=============

1- माउंट क्लेयर अपार्टमेंट:-

बैठक में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार इस बहुमंजलीय इमारत में पांचवी मंजिल तथा छठी मंजिल का तीन हजार वर्ग फिट निर्मित क्षेत्रफल का शमन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि यह इमारत नगरपालिका द्वारा स्वीकृत मानचित्र के आधार पर निर्मित की जा रही थी जिसे 4 मंजिल के निर्माण के उपरान्त जिलाधिकारी ने धारा-34-1ए उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत रोक दिया था, किन्तु जिलाधिकारी का उक्त आदेश सिविल अदालत द्वारा निरस्त कर दिये जाने के कारण 4 मंजिल से ऊपर किये जाने वाले निर्माण को शमन करना उपयुक्त समझा गया। बैठक में यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया कि शासन ने 4 मंजिल से ऊपर के निर्माण को ~~ध्वस्त करने अथवा ध्वस्त किया जाना सम्भव न होने पर शमन शुल्क लेकर निर्माण नियमित करने~~ का आदेश दिया है। ~~सचिव, विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि सिविल अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में 4 मंजिल से ऊपर के निर्माण को गिराया जाना सम्भव न था।~~ विचार-विमर्श के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस बिल्डिंग में 4 मंजिल से ऊपर के निर्माण का बना रहना जन-हित में नहीं है और इससे मसूरी का सौन्दर्य कुप्रभावित होता है। सचिव द्वारा इंगित की गई कानूनी पेचीदिगियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि मामले के समस्त तथ्यों एवं पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उ0प्र0 शासन को सन्दर्भ प्रस्तुत किया जाय और यह निवेदन किया जाय कि ~~शासन~~ धारा 41 उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत 4 मंजील से ऊपर के निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी करें। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि शासन द्वारा उक्त प्रकार आदेश पारित किया जाना सम्भव न हो तो यह भी निर्णय लिया गया कि इस भवन के शमन हेतु ~~अतिरिक्त~~ शमन शुल्क वसूल किया जाय। पूर्व में शमन के लिए पारित ~~किये~~ किये गये आदेश में यह व्यवस्था रखी गयी है कि प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त शमन शुल्क आरोपित किये जाने पर भवन स्वामी द्वारा अतिरिक्त शमन शुल्क देय होगा। अत: अतिरिक्त शमन शुल्क आरोपित किये जाने में कोई कठिनाई न समझते हुए यह निर्णय लिया गया कि 4 मंजिल से ऊपर के निर्माण पर प्रश्नगत क्षेत्र में निर्मित सम्पत्ति के मूल्य, पर्यावरण तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 200/-रू0 प्रति वर्ग फिट निर्मित क्षेत्रफल की दर से ~~अतिरिक्त~~ शमन शुल्क आरोपित किया जाय ~~और वसूल किया जाय~~।

2- अन्य मामले
============

टूरिस्ट कॉम्पलैक्स एवं हेमकुण्ड बिल्डर्स तथा मसूरी की

कि 4 मंजिलों से ऊपर के निर्माण को तथा ऐसे निर्माण को जिनसे कि दून घाटी का दृश्य बाधित होता है को धारा 41 के अन्तर्गत ध्वस्त करने हेतु आदेश पारित करने के लिए शासन से निवेदन किया जाय । निर्देश दिया गया कि प्रत्येक ऐसे मामले में पृथक-पृथक शासन को धारा 41 के अन्तर्गत आदेश पारित करने हेतु पत्र लिखे जांय ।

"हेमर इंटर नेशनल बिल्डिंग" के सम्बन्ध में आगामी बैठक में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गये ।

20- प्राधिकरण के निर्णय हेतु शमन तथा भवन मानचित्रों की अनुमति सम्बन्धी कुछ व्यक्तिगत मामले ।

==

1- होटल लाइब्रेरी क्लब, गाँधी चौक मसूरी ।

नगरपालका द्वारा स्वीकृत दो मंजिल के अतिरिक्त एक और मंजिल का निर्माण करा लिया गया है । इस अतिरिक्त निर्माण हेतु शमन की प्रार्थना की गई है ।

विचारविमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से 20,000/-रु0 शमन शुल्क निर्धारित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही ~~वसूल किये~~ की जांय ।

2- श्री एन0डी0 ओझा द्वारा प्रस्तुत लाजिंग हाउस का मानचित्र ।

हरिद्वार रोड स्थित कृषि भू-उपयोग क्षेत्र में लाजिंग हाउस के निर्माण सम्बन्ध मानचित्र प्रस्तुत किया गया । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कृषि क्षेत्र में यह मानचित्र स्वीकृत नहीं हो सकता ।

3- श्री अरबिन्द गाँधी अजन्ता होटल एवं श्री आर0के0शर्मा द्वारा प्रस्तुत ~~प्रस्तुत~~ इन्द्रलोक होटल के मानचित्र ।

राजपुर रोड पर निर्माण हेतु उपरोक्त होटल के मानचित्र प्रस्तुत किये गये । विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में होटलों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिये जांय । ~~मौके की स्थिति के अनुसार कार्यवाही की जाय । मुख्य रोड-चौड़ी सड़क का ध्यान रखा जाय ।~~

....

(86)

21- प्राधिकरण बाजार परियोजना:

दिनांक 17-12-85 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शापिंग कम्पलेक्स के निर्माण की योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई । यह भी स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व ही इस योजना में 50,000/-रू0 व्यय किये जा चुके हैं । निर्णय लिया गया कि इस योजना को अभी स्थगित रखा जाय ।

22- डालनवाला आवासीय परियोजना:

डालनवाला में रिस्पना नदी के पार आर-3 भू-उपयोग क्षेत्र में 22-61 एकड़ भूमि रू0 16,46,782/- में प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई है का प्लेन टेबिल सर्वे एंव विस्तृत आख्या प्रस्तुत की गई । परियोजना आख्या के अनुसार उच्च आय वर्ग के 82, मध्य आय वर्ग के 86, निम्न आय वर्ग के 93 तथा दुर्बल आय वर्ग के 102 भू-खण्ड आवासीय उपयोग हेतु उपलब्ध होगें । दुर्बल आय वर्ग के भू-खण्डों तीन मंजिला निर्माण किये जायेगें । इस परियोजना की लागत रू0 4,70,00000/- अनुमानित है । इस धनराशि की व्यवस्था स्वपोषित आधार एंव शीर्ष हडको से ऋण लेकर किया जाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

विचारोपरान्त प्रस्तुत ले-आउट स्वीकार किया गया एंव परियोजना का प्रस्तुत प्रस्ताव को तदनुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ।

23- अन्य परियोजनायें:

सहस्त्रधारा के सुन्दरीकरण एंव पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने ग्राम कांवली व निरंजनपुर में तथा सहस्त्रधारा में भूमि अधिग्रहण करने सम्बन्धी कठिनाइयाँ प्रस्तुत की गई तथा चकरौता रोड, बसन्त विहार, कौंवलीरोड, जनरल महादेव सिंह रोड के बीच का क्षेत्र में विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में तथा गुच्चुपानी के सौन्दर्यकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(ख) अन्य मामले अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से नगर नियोजक एव अध्यक्ष महोदय के वैयक्तिक सहायक को मानदेय भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वैयक्तिक सहायक को 50/-रू0 मानदेय भत्ता दिया जाय तथा नगर नियोजक के लिये 300/-रू0 निर्धारित किये गये ।

अनुमोदित।

(जे0पी0शर्मा)

(देवी दयाल) 7.12.85

अध्यक्ष,

(34) (87)

लम्बित मानचित्र
============

लम्बित मानचित्रों की स्थिति बैठक में सचिव द्वारा स्पष्ट की गई और यह बताया गया कि अस्वीकृत ले-आउट वाले क्षेत्रों के दिनांक 15-11-85 तक 909 मानचित्र कार्यालय में प्राप्त हैं। जिनमें से अधिकांश मानचित्र प्राधिकरण के गठन के पूर्व ही तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये हैं। विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि कांवली रोड, जनरल महादेव सिंह रोड, बसन्त बिहार व चकरोता रोड वाले क्षेत्र तथा मोहबेवाला औद्योगिक क्षेत्र जिनके जोनल डेवलपमेन्ट प्लान प्रस्तुत किये गये हैं के अतिरिक्त अन्य बिना स्वीकृत ले-आउट प्लान वाले क्षेत्रों के लम्बित मानचित्र निरस्त कर दिये जायें। मसूरी में महायोजना के अभाव में आबादी घनत्व, एफ०ए०आर० भू-उपयोग तथा ले-आउट प्लान की भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु पूर्व स्वीकृति के आवश्यकता होने या न होने के सम्बन्ध में निर्णय उपाध्यक्ष स्वयं नगर नियोजक के परामर्श से लेंगे और तदानुसार मानचित्र आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाय।

अन्य परियोजनायें
===============

बैठक में अवगत कराया गया कि ग्राम निरंजनपुर व कांवली में 68 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया है और इसी क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग की और भी उपलब्ध भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। सहस्त्रधारा के सुन्दरीकरण हेतु 1-53 एकड़ निजि भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु पहले प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। अतः इनके अधिग्रहण हेतु अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाय और अन्य क्षेत्रों की उपयुक्त एवं रिक्त भूमि महायोजना के अनुसार अधिग्रहण तत्परता पूर्वक कराया जाय।

(जे०पी०शर्मा)
उपाध्यक्ष

(देवी दयाल)

यथासंशोधित पुष्ट।